मूल्य/धर्मार्थ : 1 पैसा
(केवल बहाईयों में वितरण हेतु)

बहाई समाचारपत्र

वर्ष : 56 अंक 02 प्रकाशन : प्रत्येक माह की 8 तारीख
फरवरी 2020 बहाई वर्ष : 176

विश्व न्याय मन्दिर

...हमें अपनी शक्तियाँ बच्चों की कक्षाओं एवं किशोर समूहों के विस्तार की दिशा में लगाने की आवश्यकता है.... इस उद्देश्य के लिए पूरक विषयों की वृद्धि स्वाभाविक रूप से होने दी जाए जो गांवों और पड़ोस में समुदाय के निर्माण की क्रमशः गतिशील होती जा रही प्रक्रिया का एक प्रतिफल होगा।

—12 दिसम्बर 2011

झारखण्ड की वार्षिक बैठक का आयोजन

झारखण्ड परिषद की वार्षिक बैठक 24 से 26 जनवरी 2020 को जमशेदपुर स्थित बहाई केंद्र में सम्पन्न हुई। इस तीन दिवसीय बैठक में परिषद सदस्य, प्रशिक्षण संस्थान सदस्य, सहायक मंडल सदस्य, क्लस्टर एवं राज्य स्तरीय संयोजक एवं सहयोगी, अनुभवी शिक्षक, अनुप्रेरक, ट्यूटर एवं अभिभावकों को मिलाकर झारखण्ड के 9 क्लस्टरों के 16 समुदायों से 57 मित्रों ने भाग लिया। इस विशेष अवसर पर मार्गदर्शन हेतु सलाहकार श्री दृगपाल सिंह, सामुदायिक विद्यालय के रिसोर्स पर्सन, बहाई बाल समूह के सिसोर्स पर्सन एवं जोनल दल के सदस्य और लर्निंग साईट बिहारशरीफ से विशेष रूप से अपने अनुभवों और सीखों को साझा करने हेतु उपस्थित हुए। प्रथम दिन परिषद सचिव द्वारा उपस्थित सभी मित्रों का स्वागत करते हुए गत् एक वर्ष में प्राप्त की गयी उपलब्धियों एवं चुनौतियों को साझा किया। समीक्षा के उपरांत 8 नवम्बर 2019 के संदेश का अध्ययन किया गया, जिसमें विश्व न्याय मंदिर ने दोनों द्वि–शताब्दी के बीच के समय में प्राप्त की गयी उपलब्धियों का वर्णन करते हुए द्वि–शताब्दी को रंगभूमि बताया है कि कैसे विभिन्न स्थानों पर मित्रों ने अपने–अपने तरीके से उत्सव को मनाया एवं हर वर्ग के मित्रों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया तथा आने वाले पाँच चक्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसके बाद पारिवारिक प्रार्थना समूह से संबंधित परिपत्र का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर भक्तिपरक सभाओं को नियमित करने की दिशा में इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया।

दूसरे दिन की शुरुआत प्रार्थनाओं के बाद बहाई उपवास से सम्बंधित परिपत्र के अध्ययन के साथ शुरू हुई, जिसमें जाना की उपवास बहाउल्लाह का एक विधान है, जो प्रत्येक बहाई पर लागू होता है। साथ ही उपवास को सूर्य और अनिवार्य प्रार्थना को चंद्रमा की भांति एवं इसे मानव शरीर के दो स्तम्भ की तरह बताया है। इसके बाद जमशेदपुर क्लस्टर के स्थानीय संयोजक एवं सहयोगियों द्वारा गत् एक वर्ष के अनुभवों को संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से प्रस्तुत किया। इसके उपरांत सामाजिक क्रिया से सम्बंधित परिपत्र का अध्ययन किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों पर किशोर एवं अन्य वर्गों द्वारा समाज की भलाई हेतु किये गये अनुभव शामिल थे। महाद्वीपीय सलाहकार ने बताया कि जब कोई क्लस्टर तीसरे मील के पत्थर पर आता है तो उसमें सामाजिक क्रिया का होना आवश्यक हो जाता है। इसी क्रम में सामुदायिक विद्यालय की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए रिसोर्स पर्सन ने बताया कि सामुदायिक विद्यालय भी सामाजिक

शेष पृष्ठ 3 पर



झारखण्ड में आयोजित बैठक के प्रतिभागी

इस अंक में

बिहार में बहाई पारिवारिक सम्मेलन

स्थानीय आध्यात्मिक सभा, पटना के तत्वावधान में बहाई पारिवारिक सम्मेलन का आयोजन बहाई भवन पटना में किया गया। सम्मेलन की शुरूआत प्रार्थना, निगूढ़ वचन एवं उद्धरणों के सस्वर वाचन से हुई। सम्मेलन में खोजा इमली, नवाबगंज़, कंकड़बाग, ख़ेमनी चक, काज़ीपुर, राजेन्द्र नगर, फुलवारीशरीफ़, कटरा बाजार, चकनूरी, रिकाबगंज़, हनुमान नगर, कुम्हरार एवं तथागतनगर समुदाय से कुल 25 परिवार के मित्रों ने भाग लिया।

सम्मेलन के आगाज़ में बहाई पारिवारिक जीवन पर तैयार प्रलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन के क्रम में मित्रों ने आत्मसात किया कि वाकई में परिवार समाज का एक नाभिकीय बिन्दु व पारिवारिक जीवन वह प्राथमिक स्थान है जहाँ समाज की बेहतरी के लिए नैतिक मूल्यों और क्षमताओं का विकास किया जाता है। अस्तु, 'अगर एक परिवार में प्रेम और सहमति है तो वह परिवार प्रगति करेगा, प्रकाशित और आध्यात्मिक बनेगा।' इसी कड़ी में सोल के कार्यक्रम संयोजक ने बहाई पारिवारिक जीवन की बहाई एवं समाजशास्त्रीय अवधारणाओं एवं संकल्पनाओं से लोगों को अवगत कराया तथा बच्चों की शिक्षा के लिए माता–पिता के साथ–साथ समुदाय की जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया। तत्पश्चात् राज्य बहाई परिषद, बिहार के सचिव ने बाब के 200वें जन्मोत्सव को ऐतिहासिक एवं स्मरणीय बताते हुए विश्व न्याय मंदिर के 8 नवम्बर 2019 के पत्र को समझने में मित्रों को मदद की तथा विश्व न्याय मंदिर की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने का आह्वान किया। इसके अलावा राज्य बहाई प्रशिक्षण संस्थान के सचिव ने सभी मूलगतिविधियों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। सम्मेलन के दौरान कोष पर भी चर्चा की गई तथा अंत में उपस्थित सभी 25 परिवार के मित्रों ने 4 अलग–अलग नये घरों में प्रार्थना सभा आयोजित करने की जिम्मेदारी ली जिसे स्थानीय आध्यात्मिक सभा पटना द्वारा प्रलेखीकृत किया गया। इस अवसर पर अनेक बहाई मित्रगण उपस्थित रहे। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।



बिहार में आयोजित पारिवारिक सम्मेलन के प्रतिभागी



अलौली क्लस्टर में आयोजित संस्थान अभियान के प्रतिभागी

• अलौली क्लस्टर के सतघटा समुदाय में आठ दिवसीय संस्थान

शेष पृष्ठ 3 पर

मध्य प्रदेश की गतिविधियाँ

• मध्यप्रदेश की परिषद द्वारा भोपाल बहाई भवन में क्षेत्र के समुदाय समूहों में सेवा दे रही समूह विकास समितियों के लिए एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व न्याय मंदिर के सचिवालय विभाग से प्राप्त पत्र 1 दिसम्बर 2019 का गहन अध्ययन किया गया। जिस पर सभी मित्रों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई और यह महसूस किया कि इस पत्र को क्षेत्र के अधिक से अधिक मित्रों के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए।



भोपाल बहाई भवन में आयोजित बैठक के प्रतिभागी

कार्यक्रम के दौरान समूह विकास समितियों के दायित्वों और समुदाय स्तर की अन्य संस्थाओं से उनके सम्बन्ध एवं संयोजन की प्रक्रिया को सतत बनाये रखने पर विस्तार से परामर्श किया गया। साथ ही, समिति द्वारा समुदाय में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई एवं उनके द्वारा प्राप्त सीख एवं चुनौतियों को एक–दूसरे के साथ साझा किया गया।

अंत में समितियों के कार्यो को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने, समुदाय की वार्षिक योजना तैयार करने और अगले त्रैमासिक चक्र की योजना बनाने में मदद हेतु, हाल ही में 10 और 11 दिसम्बर 2019 को दिल्ली में सम्पन्न हुई बैठक से प्राप्त सीख एवं नवीनतम अन्तर्दृष्टियों के बारे में बतलाया गया और कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को बोर्ड पर लिखकर उन्हें किस प्रकार कार्यक्षेत्र में लागू किया जाये उसके बारे में गहन परामर्श किया गया।

• भोपाल क्लस्टर में बहाई भवन में, भवन के पड़ोसी क्षेत्र इन्द्रपुरी में चलाये जा रहे किशोर समूहों में भाग लेने वाले सभी किशोरों एवं उनके अनुप्रेरकों के लिए स्थानीय सभा द्वारा कुछ घण्टे का कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें किशोरों द्वारा समाप्त की गई ''सम्पुष्टि की सुरभि'' नामक पुस्तक में दी गई अवधारणाओं पर एक–दूसरे के साथ खुलकर परामर्श किया गया, सभी किशोरों ने इस बैठक के दौरान होने वाले परामर्श में बढ़–चढ़ कर भाग लिया, साथ ही, अपनी सीख को एक–दूसरे के साथ साझा किया। किशोरों द्वारा पुस्तक में दिये गये गीतों पर प्रकाश डाला गया और बहाई फिल्म भी दिखाई गयी।



किशोरों के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रार्थना करते हुए किशोर

समाचारचित्र



सिक्किम के श्री अरुण प्रधान और सुश्री सर्वदा प्रधान का विवाह 19 जनवरी, 2020 को बहाई विधिविधान के अनुसार सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर 8 स्थानीय आध्यात्मिक सभा, सहायक मण्डल सदस्य और अनेक अन्य बहाई मित्रगण उपस्थित रहे।



चेन्नई की सुश्री करिश्मा लतीफ और जमशेदपुर के मोहम्मद वसीम का विवाह 29 जनवरी, 2020 को स्थानीय आध्यात्मिक सभा जमशेदपुर के तत्वावधान में बहाई विधिविधान के अनुसार सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अनेक बहाई मित्रगण उपस्थित रहे।



पश्चिम बंगाल के पुरुलिया बहाई भवन में दो बार और कोलकाता के बहाई भवन में एक बार 28 से 30 दिसम्बर, 2019 तक 'बहाई कोष पर शिक्षण' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में क्रमशः 65, 30 और 25 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज की। कार्यक्रम के दौरान बहाउल्लाह, अब्दुलबहा, शोगी एफेंदी और विश्व न्याय मन्दिर के कोष पर आधारित लेखों का अध्ययन किया गया।

दिसम्बर 2019 तक मूल–गतिविधियों के सांख्यिकी आंकड़े

क्षेत्रीय/राज्य बहाई परिषद	भक्तिपरक बैठकों की संख्या	भक्तिपरक बैठकों में उपस्थिति	बच्चों की बहाई कक्षाओं की संख्या	बच्चों की बहाई कक्षाओं में उपस्थिति	किशोर समूहों की संख्या	किशोर समूहों में उपस्थिति	स्टडी सर्कल की संख्या	स्टडी सर्कल में उपस्थिति	कुल मूल गतिविधियां	मूल गतिविधियों में कुल उपस्थिति	
आंध्र प्रदेश+	206	1,094	37	241	21	168	1	4	265	1,507	
असम+	274	936	60	640	17	144	13	52	364	1,772	
बिहार	5,754	45,374	722	7,101	525	4,952	198	1,585	7,199	59,012	
छत्तीसगढ़	502	2,467	46	442	40	347	9	43	597	3,299	*
गुजरात	541	2,230	79	810	53	487	38	281	711	3,808	
झारखण्ड	1,939	13,308	266	2,023	159	1,141	91	723	2,455	17,195	
कर्नाटक	73	333	21	175	10	74	14	43	118	625	
केरल	413	1,603	79	594	19	86	34	179	545	2,462	
मध्य प्रदेश	328	2,499	71	862	51	469	20	148	470	3,978	
महाराष्ट्र+	10,511	52,987	813	9,918	707	7,711	236	1,747	12,267	72,363	
मणिपुर+	208	764	26	231	13	77	9	54	256	1,126	*
ओडिशा	911	4,138	120	935	67	437	31	165	1,129	5,675	
पंजाब+	329	1,529	107	978	153	1,188	21	117	610	3,812	*
राजस्थान	79	395	19	172	17	115	3	18	118	700	
सिक्किम+	210	890	31	185	12	58	2	7	255	1,140	
तमिलनाडु+	3,007	12,025	178	1,460	152	1,090	194	814	3,531	15,389	*
त्रिपुरा	322	2,050	92	786	45	296	38	138	497	3,270	
उत्तर प्रदेश+	14,659	126,039	2,039	16,798	1,628	12,095	594	4,841	18,920	159,773	
पश्चिम बंगाल	6,848	38,586	1,119	8,414	775	6,111	423	2,835	9,165	55,946	
कुल	47,114	309,247	5,925	52,765	4,464	37,046	1,969	13,794	59,472	412,852	

*सितम्बर 2019 तक के आंकड़े

झारखण्ड की वार्षिक बैठक का आयोजन

पृष्ठ 1 का शेष

क्रिया का एक अंग है। जब कोई समुदाय इस क्रिया में आगे होता है तो वह समुदाय अपने बच्चों एवं किशोरों के आध्यात्मिक एवं बौद्धिक विकास की जिम्मेवारी लेता है। इसके महत्व को और अधिक समझने हेतु "बच्चो की शिक्षा की बहाई अवधारणा" परिपत्र का अध्ययन किया गया। इस वर्ष जमशेदपुर, आसनबनी, पटमदा में सामुदायिक विद्यालय हेतु समुदाय की पहचान कर उनसे वार्तालाप की योजना तैयार की गयी।

तीसरे दिन बहाई कोष से संबंधित परिपत्र का अध्ययन किया गया एवं बहाई दान के पुनीत कर्त्तव्य को कहानी एवं व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से समझा गया। अलौली में 304 किशोरों के साथ हुए शिविर के अनुभव को साझा किया और स्थानीय मित्रों को इस प्रकार के शिविर को बढ़ावा देने का सुझाव दिया जो नये एवं पुराने दोनों किशोरों के लिए हो। इसी क्रम में बहाई बाल समूह के औपचारीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे आवश्यक एवं बच्चों के लिए प्रत्येक ग्रेड को महत्वपूर्ण बताया। इसके बाद महाद्वीपीय सलाहकार ने योजना के तत्व को बताया, जिसमें 100 घरों के 20 पॉकेट तैयार करना, बाल एवं किशोर शिविर, नाभिकों का विकास, प्रथम संवर्ग के सह–शिक्षक को बढ़ाना, पारिवारिक समूह, इत्यादि। इसके पश्चात् मानगो, पटमदा, चंदनक्यारी, चास, गम्हरिया के मित्रों द्वारा वार्षिक योजना को प्रस्तुत किया गया। इन तीन दिनों में कला एवं संस्कृति का भी खूब आनंद उठाया गया। तदुपरांत परिषद सचिव द्वारा सभी का धन्यवाद करते हुए सामूहिक प्रार्थनाओं के साथ बैठक समाप्त हुई।

''अय्याम–ए–हा''

बहाई कैलेण्डर के अनुसार वर्ष में 18वें तथा 19वें महीनों के बीच 4 और कभी–कभी 5 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें ''अय्याम–ए–हा'' (लोंद के दिन) कहा जाता है। इन दिनों का अपना ही एक महत्व होता है, यह उपवास से पहले के दिन होते हैं जिन दिनों में बहाई अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों को प्रीतिभोज देते हैं या अपने में से गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। दान देने के उद्देश्य से भी ये दिवस बहुत ही उत्तम और पवित्र माने गये हैं। उन्नीसवें महीने, 'उच्चता' (अला) के आरम्भ के साथ ही हमारे उपवास का समय आरम्भ हो जाता है।

''अय्याम–ए–हा'' के विशेष दिनों के अवसर पर आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनायें।

बिहार में बहाई पारिवारिक सम्मेलन

पृष्ठ 1 का शेष

अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें कुल 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में सर्वाधिक संख्या महिलाओं की थी। ज्ञातव्य हो कि उक्त 23 प्रतिभागियों में से कुल 19 प्रतिभागियों ने रूही पुस्तक–1 'दिव्य जीवनः एक चिन्तन' का अध्ययन पूर्ण किया तथा अध्ययनोपरांत पुस्तक की तीनों इकाई से प्राप्त अपनी सीख एवं अनुभव को अलग से प्रलेखीकृत कर अपने सहशिक्षक को दिया तथा पाँच प्रार्थना कंठस्थ कर उसे लयबद्ध भी किया।

ध्यातव्य हो कि उक्त अभियान के परिणामस्वरूप 18 नये घरों में प्रार्थना सभा की शुरूआत की गई तथा इसी अभियान के प्रतिभागियों की मदद से उनके घर में अभिभावकों के साथ अर्थपूर्ण वार्तालाप की गई, जिससे प्रतिभागी के अभिभावकगण पुस्तक के उद्देश्य से पूर्णतया अवगत हुए और उन्होंने सहशिक्षकों को मदद करना प्रारंभ कर दिया। इसके नतीजतन 15 मित्रों के साथ रूही पुस्तक–5 का अध्ययन प्रारंभ किया गया। खास बात यह थी कि अध्ययन के साथ–साथ अभ्यास कार्य एवं अन्य सेवा गतिविधि किये जाने के परिणामस्वरूप प्रतिभागियों में रूचि एवं उत्साह बना रहा।

सूचना

आप सभी को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एशिया के महाद्वीपीय सलाहकार मण्डल ने पश्चिम बंगाल में श्री झंटू कुम्भकर और झारखण्ड में श्री गुरू चरण सिंह को सहायक मण्डल सदस्य (प्रसार) के लिए नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल के श्री जयंता कुमार को सहायक मण्डल सदस्य (प्रसार) से सहायक मण्डल सदस्य (संरक्षण) नियुक्त किया गया है।

महाद्वीपीय सलाहकार मण्डल ने, डॉ. एम. ए. घनबरी को बहाई उपासना मन्दिर के महाप्रबंधक के रूप में सेवा देने के कारण उन्हें सहायक मण्डल सदस्य के रूप में उनके द्वारा दी गई सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें उनके दायित्व से मुक्त कर दिया है।

पश्चिम बंगाल के सहायक मण्डल सदस्य श्री सुनील महातो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनकी आत्मा की प्रगति के लिए हम प्रार्थनारत हैं।

Regd. No. DELHIN / 1966 / 04204 — Delhi Postal Regd No. DL (ND) 11/6036/2018-19-20
New Delhi P.S.O. — Licensed to post without pre-payment No. U (C)-52/2018-19-20

बहाई अंत्येष्टि–क्रिया के संबंध में बहाउल्लाह का विधान

बहाई अंत्येष्टि–क्रिया के विधानों का सिंहावलोकन और इनकी उपयुक्तता

शव–संस्कार की अँगूठी

प्रभु ने आदेश दिया है कि मृतक को स्फटिक, कठोर और प्रतिरोधी पत्थर अथवा उत्कृष्ट और टिकाऊ लकड़ी के बने बक्से में रखा जाये... और उसकी अँगुलियों में उत्कीर्ण अंगुठियाँ पहनाई जायें।...

...अगर मृतक स्त्रियों और पुरूषों की अंगुठियों पर ईश्वर द्वारा प्रेषित यह छन्द अंकित किया जाये तो यह उसके लिये बेहतर होगा – मैं ईश्वर की ओर से आया (आयी) हूँ और उसकी ओर लौट रहा (रही) हूँ, उसके अतिरिक्त अन्य सब से मुक्त और उसके कृपालु और करूणामय नाम को दृढ़ता से थामे हुये।"

(बहाउल्लाह, किताब–ए–अक़्दस, पैराग्राफ 128–129)

प्रश्न : क्या शव–संस्कार की अंगूठी पहनाने का आदेश केवल वयस्कों के लिये है अथवा छोटे बच्चों के लिये भी ?

उत्तर – यह केवल वयस्कों के लिये है। मृतक के लिये की जाने वाली प्रार्थना भी वयस्को के लिये है।

(बहाउल्लाह, किताब–ए–अक़्दस, परम पावन ग्रंथ प्रश्न और उत्तर सं. 70)

किताब–ए–अक़्दस में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि अंगूठी किस अँगुली में पहनाई जाये।

(विश्व न्याय मंदिर की ओर से एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को 13 मार्च 1978 को लिखे पत्र से)

शव–संस्कार की अंगूठी पर उत्कीर्ण किये जाने वाले शब्द किताब–ए–अक़्दस के गद्यांश 129 के अंतिम अंश में दिये गये हैं। अंगूठी के आकार अथवा बनावट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है।

(विश्व न्याय मंदिर की ओर से 18 मई 1999 को एक अनुयायी को लिखे गये पत्र से)

चादर और अंगूठी के प्रयोग के अध्ययादेश ऐसे हैं जो अभी पश्चिम में लागू नहीं किये गये हैं, लेकिन मृतक का परिवार चाहे तो उनका इस्तेमाल कर सकता है।

(विश्व न्याय मंदिर द्वारा एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के 7 दिसम्बर, 2003 को लिखे को पत्र से)

क्रमशः

निवेदन

प्रिय मित्रों, अपने समुदायसमूह में होने वाली मूल गतिविधियों की रिपोर्ट तथा प्रेरणादायक घटनायें फोटोग्राफ के साथ हमें समय–समय पर भेजते रहें, जिससे की हम उन्हें बहाई समाचार में प्रकाशित कर सकें।

धन्यवाद !

राष्ट्रीय बहाई कार्यालय में सेवा के अवसर

प्रिय मित्रगण,

राष्ट्रीय बहाई केन्द्र में आईटी/आईएस में सेवा देने के लिए ऐसे मित्र की आवश्यकता है जिनके पास सम्बद्ध प्रशिक्षण और अनुभव हो :

सूचना प्राद्योगिकी

- कम्प्यूटर हार्डवेयर लगाना और उसकी देख–रेख करना, साथ में, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग के काम की ज़िम्मेदारी भी।
- संस्था के कंप्यूटर को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- एम.एस. आउटलुक 2010/2013/2016 को लगाना और देख–भाल करना नियमित रूप से बैकअप लेना।
- डोमेन सर्वर फाइल सर्वर, शेयर प्वायंट, टैली, ई.आर.पी. और डी.एम.एस. का रख–रखाव
- विन्डोज़ आदि की व्यवस्था करना
- डाटाबेस तैयार करना और उसका रख–रखाव
- हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के रख–रखाव के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करना।

इस रिक्त पद के निम्नांकित योग्यतायें अपेक्षित हैं :

- आवेदक को हिन्दी और अंग्रेजी में सम्वाद करने की क्षमता हो।
- आवेदक को कंप्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान हो।
- आवेदक को सीखने की इच्छा हो।
- सेवा के उस क्षेत्र में, जिसके लिये आवेदन किया जाये, आवेदक को अनुभव प्राप्त हो।
- विंडोज सर्वर 2008 आर2/2012 आर 2, विंडोज 7/विंडो 8.1/ विंडोज 10, विंडोज शेयरपॉइंट 2012/2016, मैकफी एंडपॉइंट, साइबर रोम फायरवॉल, सिस्को स्विचेस और राउटर एल3, एमएस एसक्यूएल, एमएस ऑफिस 2010–2016, सीपेनल/डब्ल्यूएचएम (लिनक्स), डॉट नेट, एचटीएमएल, पीएचपी, वर्डप्रेस।

उपरोक्त पद के लिये जो मित्र आवेदन करना चाहते हैं वे personnel@ibnc.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की एक प्रति nsaindia@ibnc.in पर भी भेजें।

बहाई विश्व केन्द्र में सेवा के अवसर

जैसे–जैसे दुनिया के हर भाग में प्रभुधर्म के कार्य फैलते जा रहे हैं वैसे–वैसे बहाई विश्व केन्द्र की प्रभावशाली कार्यविधि का महत्व बढ़ता जा रहा है। प्रभुधर्म के विश्व केन्द्र का वर्णन शोगी एफेंदी द्वारा कुछ इन शब्दों में किया गया है : विश्व केन्द्र "नई विश्व व्यवस्था की एजेंसियों की धुरी है," यह विविध देशों से आये अनुयायियों के निरन्तर प्रवाह से सम्बलित है, जो निःस्वार्थ भाव से सेवा की एक निश्चित अवधि के लिये आते हैं, जो अवधि भिन्न–भिन्न हुआ करती है। विश्व केन्द्र में स्टॉफ की ज़रूरत विभिन्न कामों के लिये होती है, जो उपलब्ध संसाधनों और बढ़ती हुई ज़रूरतों के आधार पर निर्भर करते हैं। किसी ख़ास समय में सुयोग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। तो किसी अन्य समय में सामान्य काम–काज के लिये ज़रूरत होती है। विश्व केन्द्र में सेवा की प्रकृति के कारण 12 महीने या अधिक समय के लिये यह ज़रूरत पड़ती है। इच्छुक व्यक्ति को अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिये।

सेवा देने के इच्छुक किसी भी मित्र को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाता है कि वह सीधे तौर पर अपना आवेदन https:/bahai.bwc.org/service/ पर भेज कर कार्मिक विभाग से सम्पर्क करे।

कुल पृष्ठ संख्या–4 — बहाई समाचारपत्र के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से संबंधित फार्म – 4, नियम 8

समाचार का नाम : बहाई समाचारपत्र
रजि नं. : DELHIN / 1966 / 4204 यू नं. (C)-52/2018-19-20
डी.एल. DL (ND) 11/6036/2018-19-20
प्रकाशक का नाम : सुशील कुमार (भारतीय)
(बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1)
प्रकाशन स्थान : बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1

मुद्रक का नाम : सुशील कुमार (भारतीय)
बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1
मुद्रण स्थान : श्री मंगलम प्रिंटर्स, एफ–25, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–110020
उन व्यक्तियों के नाम जो समाचारपत्र स्वामी हों : राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को इसका स्वामित्व प्राप्त है, जो सोसायटीज़ एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है।

Licenced to post without Pre-Payment Posted at CPSO New Delhi on 10/11.02. 2020
Sender's Address:
6, Shrimant Madhavrao Scindia Marg.
New Delhi - 110 001 - INDIA

स्वामी, भारत के बहाईयों की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा, जो सोसायटीज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है, के लिए प्रकाशक, मुद्रक : सुशील कुमार के द्वारा श्री मंगलम प्रिंटर्स, एफ–25, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–110 020 से मुद्रित एवं बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित (सम्पादक : सुशील कुमार)